मध्यप्रदेशशासन
वन विभाग
मंत्रालय वल्लभभवन भोपाल

क्रमांक / भोपाल,दिनांकः अक्टूबर, 2009

प्रति,

समस्त वनमण्डलाधिकारी,
क्षेत्रीय, म0प्र0

विषयः– वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग में वनभूमि व्यपवर्तन के अधिकार सौंपने विषयक।

भारत शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ज्ञाप 11–9/98–एफसी दिनांक 03.01.2005 के द्वारा, कुछ जनउपयोगी प्रकरणों में यदि वनभूमि व्यपवर्तन 1 हेक्टेयर से कम हो तो वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति के अधिकार राज्य शासन को सौंपे गये है। राज्य शासन के ज्ञाप कं. एफ 5/2/2006/10–3 दिनांक 29.08.2006 के द्वारा यह आदेश क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी को प्रदत्त किये गये तथा राज्य शासन के ही आदेश क्रमांक 5/11/2006/10–3 दिनांक 19.04.2007 के द्वारा यह अधिकार आगामी आदेश तक लागू किये गये। राज्य शासन के ज्ञाप क्रमांक 5/11/2006/10–3 दिनांक 01.12.2007 के द्वारा यह भी निर्णय सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत भी अपना आवेदन वन परिक्षेत्र कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगीं तथा ऐसे प्रकरणों का निराकरण 1 माह की समय–सीमा में किया जाएगा। राज्य शासन के आदेश क्रमांक 5/11/2006/10–3 दिनांक 29.05.2009 के द्वारा इन निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा–3(2) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार हेक्टेयर से कम वनभूमि के व्यपवर्तन के अधिकार क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी को [illegible] कर दिये गये।

2/ ऐसे क्षेत्र जो अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की परिधि के बाहर है, उनमें 1 हेक्टेयर से कम वनभूमि के व्यपवर्तन के अधिकार निम्न प्रकरणों मे एतद् द्वारा क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी को प्रदत्त किये जाते हैः–

2.1 स्कूल,
2.2 चिकित्सालय/अस्पताल
2.3 विद्युत एवं संचार लाईन
2.4 पीने के पानी की व्यवस्था
2.5 वाटर/रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर
2.6 छोटी सिंचाई नहरें
2.7 गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोंत

2.8 कुशलता उन्नयन/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
2.9 विद्युत सब स्टेशन
2.10 संचार पोस्ट
2.11 गृह मंत्रालय, भारत शासन द्वारा चिन्हांकित संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस स्थापना जैसे कि पुलिस स्टेशन/आउटपोस्ट/वाच टावर इत्यादि

3/ उपरोक्त प्रकरणों में स्वीकृति निम्न शर्तो के आधार पर ही दी जायेगीः–

1. प्रत्येक प्रकरण में वनभूमि का व्यपवर्तन 1 हेक्टेयर से कम होना चाहिए।
2. उपरोक्त विकास परियोजनाओं के लिए स्वीकृति इसी शर्त पर दी जायेगी कि उन विकास कार्यो की आवश्यकता वहां पर हो।
3. व्यपवर्तित की गयी भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
4. आवेदनकर्ता विभाग क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी को निर्धारित प्रपत्रों में वन संरक्षण नियम 2003 की अपेक्षानुसार आवेदन प्रस्तुत करेगा।
5. संबंधित प्रकरण में प्रति हेक्टेयर 50 से अधिक वृक्ष नहीं काटे जायेंगे। यदि व्यपवर्तित क्षेत्र 1 हेक्टेयर से कम हो तो काटे जाने वाले वृक्षों की अधिकतम संख्या समानुपातिक रहेगी।
6. परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण अथवा संरक्षित क्षेत्रों के बाहर हो।
7. संबंधित क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी वनभूमि की न्यूनतम आवश्यकता का आंकलन कर प्रमाणीकरण करने के उपरांत ही अनुमति देंगे जिसमें वनभूमि का व्यपवर्तन 1 हेक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिए।
8. क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी वनभूमि के व्यपवर्तन की अनुमति जारी करने के पूर्व क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक से सहमति प्राप्त करेंगे।
9. इस प्रकार स्वीकृत समस्त प्रकरणों की माहवार जानकारी अगले माह की 1 तारीख तक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू–प्रबंध को भेजी जायेंगी जो कि उस माह की 5 तारीख तक केन्द्रीय मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
10. आवेदनकर्ता विभाग वन विभाग द्वारा चिन्हित की गयी भूमि पर व्यपवर्तित वनभूमि में काटे गये वृक्षों की संख्या से दुगने वृक्ष लगायेंगे ताकि क्षेत्र हरा–भरा रहे। प्राथमिकता परियोजना स्थल के आसपास के क्षेत्रों को ही दी जायेगी तथा केवल स्थानीय वन प्रजाति के पौधे रोपित किये जायेंगे। व्यपवर्तित भूमि पर लगाये गये वृक्ष वन विभाग की अनुमति के बिना नहीं काटे जायेंगे। जो वृक्ष वन क्षेत्र के अन्यत्र लगाये जायेंगे वे भी वन विभाग की सम्पत्ति रहेंगे।
11. आवेदनकर्ता विभाग व्यपवर्तित भूमि तथा उसके चारों ओर क्षेत्र में वन्य पशु/वृक्षों को होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार रहेंगे तथा उनका संरक्षित करने के लिए आवश्यक उपाय भी करेंगे।
12. ऐसे वनभूमि के व्यपवर्तन के प्रकरणों में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत शासन अनुबंधित हो सकेंगे

13. पैरा–2 में उल्लेखित गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य किसी गतिविधि के लिए वनभूमि का व्यपवर्तन नहीं किया जायेगा।

14. आवेदनकर्ता विभाग से यह भी वचनपत्र लिया जायेगा यदि वन संरक्षण की दृष्टि से भविष्य में कोई शर्त लगायी जाती है तो उन्हें मानने के लिए वे बाध्य होंगे।

4/ यह स्पष्ट किया जाता है कि वनक्षेत्र से गुजर रहे दिनांक 25.10.1980 के पूर्व कच्चे मार्गो को पक्का करने बाबत् अधिकार, जो कि म.प्र.शासन, वन विभाग के ज्ञाप कमांक/5/6/2005/10–3 दिनांक 17.05.2005 द्वारा प्रत्यायोजित किये गये हैं यथावत् रहेगें।

5/ नेट प्रजेन्ट वैल्यू के संबंध में मध्यप्रदेश वन विभाग के द्वारा जारी ज्ञाप कमांक एफ–5/16/2000/10–3 दिनांक 12.09.2008 के निर्देश ही लागू होंगे।

उपरोक्त प्रकरणों में स्वीकृति के अधिकार दिनांक 31.12.2013 तक के लिए दिया जा रहा है, उसके पश्चात् यदि अधिकार को जारी रखना आवश्यक हो तो आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

(रतन पुरवार)
सचिव,
म0प्र0शासन, वन विभाग

पृ0कमांक/2285F 5-11/06/03 भोपाल,दिनांक:21 अक्टूबर, 2009

प्रति लेपि:–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग/उच्च शिक्षा विभाग/आदिम जाति कल्याण विभाग/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/जल संसाधन विभाग/तकनीकी शिक्षा विभाग/गृह विभाग।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र.
3. समस्त क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, म.प्र.
4. समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव,